(2020) 7 एस.सी.आर. 1010

पद्मा मिश्रा

बनाम

उत्तराखंड राज्य एवं अन्य।

(आपराधिक अपील संख्या 20/2010) 13 फरवरी, 2020

[इंदिरा बनर्जी और अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्तिगण]

भारत का संविधान: अनुच्छेद 226–उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई–एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली रिट याचिका, उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई ।

–अपील पर,**अभिनिर्धारितः** संविधान की अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में, उच्च न्यायालय एफआईआर में आरोपों की सत्यता का फैसला नहीं करता है – अदालत केवल असाधारण मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, यदि एफआईआर में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया किसी अपराध का खुलासा नहीं करते हैं। इस मामले में एफआईआर में यह आरोप शामिल था कि अपीलकर्ता और अन्य लोग अपने खिलाफ मामलों में गवाहों की आवाज को दबाने के लिए सार्वजनिक धमकियों और शारीरिक हिंसा सहित जबरदस्ती का सहारा ले रहे थे – इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोप सही नहीं हैं। एफआईआर में गैंगस्टर अधिनियम के तहत दंड की आवश्यकता वाले किसी भी कार्य का खुलासा नहीं किया गया। उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय के आदेश में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं –उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986–एसएस 2 व 3।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

अभिनिर्धारित: 1.1 गैंगस्टर की परिभाषा गैंगस्टर अधिनियम में दी गई है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जो किसी गिरोह का सदस्य या नेता या आयोजक है या किसी गिरोह की गतिविधियों को बढ़ावा देता है या सहायता करता है, जिसमें हिंसा, धमकी शामिल है। सार्वजनिक व्यवस्था में खलल डालने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से धमकी, जबरदस्ती शामिल है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपीलकर्ता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर आम लोगों के साथ मारपीट और मारपीट कर आतंक मचाया है.वास्तव में, एफआईआर में यह आरोप शामिल है कि अपीलकर्ता और अन्य लोग अपने खिलाफ मामलों में गवाहों की आवाज को दबाने के लिए शारीरिक हिंसा सहित सार्वजनिक धमकियों और जबरदस्ती का सहारा ले रहे हैं। (पैरा 1, 2)(1012–ई–एफ)

1010 पद्मा मिश्रा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य

1.2. एफआईआर में अपीलकर्ता के खिलाफ विभिन्न मामलों की एक सूची शामिल है, जब एफआईआर दर्ज की गई थी और उनमें एल.पी.सी. की प्रासंगिक स्थितियों के तहत अपराध शामिल थे, जिसमें धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), धारा 506 (आपराधिक धमकी) , धारा 504 (शांति भंग करना) व धारा 307 (हत्या का प्रयास)। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों में गैंगस्टर एक्ट के तहत दंड की आवश्यकता वाले किसी भी कृत्य का खुलासा नहीं किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में, उच्च न्यायालय एफआईआर में आरोपों की सत्यता का फैसला नहीं करता है। उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया और रिट याचिका खारिज कर दी। (पैरा 3, 4, 5)(1012–जी–एच)(1013–ए–बी)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 20/2010.

आपराधिक रिट याचिका संख्या 427/2009 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्णय व आदेश दिनांक 09.06.2009 से।

राजेश शर्मा, फिरोज सफी, श्रीमती शालू शर्मा अधिवक्तागण.....अपीलार्थी की ओर से

जतिंदर कुमार भाटिया और कृष्णम मिश्रा अधिवक्तागण.....उत्तरदाताओं की ओर से

न्यायालय का फैसला **इंदिरा बनर्जी,जे**. द्वारा सुनाया गया।

1. यह अपील उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 09.06.2009 को पारित आदेश के खिलाफ है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका संख्या 427/2009 को खारिज कर दिया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट 179/2009,याचिकाकर्ता के विरुद्ध धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत दर्ज की गई थी। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 जिसे इसके बाद "गैंगस्टर्स एक्ट" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

गैंगस्टर अधिनियम की धारा 2(बी) और 2(सी) को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: "गिरोह" और गैंगस्टर।

2(**ख**)""गिरोह" का अर्थ व्यक्तियों का एक समूह है, जो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा, या धमकी या हिंसा का प्रदर्शन करके कार्य करता है, या परेशान करने के उद्देश्य से धमकी, या जबरदस्ती या अन्यथा सार्वजनिक आदेश या अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित लौकिक, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए, असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होना।

2**(ग)** "गैंगस्टर" का अर्थ किसी का सदस्य या नेता या आयोजक गिरोह और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जो गतिविधियों को बढ़ावा देता है या सहायता करता है जो खण्ड (ख)में उल्लिखित एक गिरोह, चाहे ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने से पहले या बाद में या किसी ऐसे व्यक्ति को शरण देता हो जो ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है

धारा 3 –गैंगस्टर अधिनियम इस प्रकार है:

3. "दण्ड **(1)** एक गैंगस्टर को किसी भी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो दो साल से कम नहीं होगी जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी, जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा:

बशर्ते कि एक गैंगस्टर जो किसी लोक सेवक को या लोक सेवक के परिवार के किसी सदस्य के विरुद्ध अपराध करता है उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल से कम नहीं होगा और जुर्माना भी होगा जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा।"

गैंगस्टर की परिभाषा गैंगस्टर अधिनियम में दी गई है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जो किसी गिरोह का सदस्य या नेता या आयोजक है या किसी गिरोह की गतिविधियों को बढ़ावा देता है या सहायता करता है, जिसमें हिंसा, धमकी, धमकी, परेशान करने के उद्देश्य से जबरदस्ती शामिल है या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी अनुचित लाभ के लिए किया जा रहा है।

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपीलकर्ता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर आम लोगों के साथ मारपीट और मारपीट कर आतंक मचाया है. वास्तव में, एफआईआर में यह आरोप शामिल है कि अपीलकर्ता और अन्य लोग अपने खिलाफ मामलों में गवाहों की आवाज को दबाने के लिए शारीरिक हिंसा सहित सार्वजनिक धमकियों और जबरदस्ती का सहारा ले रहे हैं।

3. एफआईआर में अपीलकर्ता के खिलाफ विभिन्न मामलों की एक सूची शामिल है, जब एफआईआर दर्ज की गई थी और उनमें आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध शामिल थे, जिसमें धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), धारा 506 (आपराधिक धमकी) , धारा 504 (शांति भंग करना) व धारा 307 (हत्या का प्रयास)। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों में गैंगस्टर एक्ट के तहत दंड की आवश्यकता वाले किसी भी कृत्य का खुलासा नहीं किया गया है।

पद्मा मिश्रा बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य।

[इंदिरा बनर्जी, जे.]

4. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में, उच्च न्यायालय एफआईआर में आरोपों की सत्यता का फैसला नहीं करता है। न्यायालय केवल असाधारण मामलों में ही हस्तक्षेप कर सकता है, यदि एफआईआर में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया किसी अपराध का खुलासा नहीं करते हैं।

5. हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर सही ही किया और रिट याचिका को खारिज कर दिया।

इसलिए अपील खारिज की जाती है।

लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है।

देविका गुजराल अपील खारिज।

(बटेश्वर कुमार)

सिविल जज (प्र०ख०)

सुलतानपुर।